भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 118
03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों द्वारा विषैले रसायन पैराक्वाट डाइक्लोराइड का उपयोग

***118. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डीः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मनुष्यों और जानवरों के लिए पैराक्वाट डाइक्लोराइड की मान्य विषाक्तता और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, इसके सुरक्षित उपयोग के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों और प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, जहां सुरक्षात्मक उपकरण और प्रशिक्षण सीमित हैं, में पैराक्वाट डाइक्लोराइड की सुरक्षित हैंडलिंग के तौर-तरीकों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विभिन्न अन्य देशों में पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर प्रतिबंध के दृष्टिगत इसके उपयोग की समीक्षा चल रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पैराक्वाट डाइक्लोराइड के सुरक्षित विकल्पों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए चल रही पहलों और इन विकल्पों को अपनाने हेतु किसानों को प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ "किसानों द्वारा विषैले रसायन पैराक्वाट डाइक्लोराइड का उपयोग" के संबंध में श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 118 के भाग (क) से (घ) का उल्लिखित विवरण

(क) और (ग): भारत सरकार कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 नामक व्यापक कानून के माध्यम से देश में कीटनाशकों के निर्माण और उपयोग को नियंत्रित करती है और देश में कीटनाशकों को रसायन विज्ञान, जैव-प्रभावकारिता, विषाक्तता, पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण जैसे विभिन्न मापदंडों के डेटा पर विचार करने के बाद ही उपयोग की अनुमति दी जाती है ताकि मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लिए प्रभावकारिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कीटनाशकों के लेबल और लीफलेट पर मात्रा, फसल, एहतियाती उपाय, प्रतिकारक आदि का विवरण निर्धारित किया गया है। यदि पंजीकृत कीटनाशकों का प्रयोग लेबल और लीफलेट में के अनुसार किया जाता है तो ये कीटों के अलावा मनुष्यों, जानवरों, पर्यावरण अन्य जीवित प्राणियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं।

इसके अतिरिक्त, कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति (आरसी) ने दिनांक 22.12.2015 को आयोजित अपनी 361 वीं आरसी बैठक में, डॉ. अनुपम वर्मा समिति, जोकि पैराक्वाट डाइक्लोराइड सहित 66 कीटनाशकों की समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी, की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया तथा सावधानी के साथ इसके निरंतर उपयोग, दुरुपयोग को रोकने के लिए पैकेजिंग में सुधार तथा विषाक्तता के मामलों से निपटने के लिए चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण आदि सिफारिशो को स्वीकार किया गया । इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के निर्देश पर पैराक्वेट डाइक्लोराइड की विषाक्तता और सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया है।

(ख) और (घ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्रों (सीआईपीएमसी) और राज्य कृषि विभागों के माध्यम से किसानों, राज्य कृषि विस्तार अधिकारियों और कीटनाशक डीलरों को पैराक्वाट डाइक्लोराइड सहित सभी कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग के तरीकों के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए किसान फील्ड स्कूल (एफ.एफ.एस.), दो दिवसीय और पांच दिवसीय एच.आर.डी. कार्यक्रम और 30 दिवसीय सीजन-लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम (एस.एल.टी.पी.) सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। लेबल और लीफलेट के अनुसार कीटनाशकों के आवश्यकता-आधारित, विवेकपूर्ण उपयोग को अंतिम उपाय के रूप में बताया गया है। फसल कीटों के प्रबंधन के लिए जैविक कीटनाशकों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया जाता है। इसके अलावा, दो वर्ष की अनंतिम पंजीकरण अवधि के दौरान व्यावसायीकरण की अनुमति के साथ-साथ जैविक कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए आर.सी. द्वारा सरल दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

*****